उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

संतोष कुमार–II **U.P. State Legal Services Authority**

एच0जे0एस0 (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

अपर जिला जज / सचिव

सेवा में,

निदेशक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0

लखनऊ।

पत्र सं0 612 /एस0एल0एस0ए0– 168/2025 दिनांकः फरवरी 22 2026

विषयः **प्रेस विज्ञप्ति को विभिन्न समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में निःशुल्क प्रकाशित/प्रचारित कराने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में, माननीय न्यायमूर्ति श्री अरूण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय/मुख्य संरक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल निर्देशन एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में दिनांक 22.02.2026 को उत्तर प्रदेश के 74 जनपदों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविरों का आयोजन किया गया।

आपसे अनुरोध है कि कृपया जन–सामान्य के लाभार्थ संलग्न प्रेस विज्ञप्ति एवं फोटो को विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी)/इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि में प्रकाशित/प्रसारित कराने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्नकः यथोक्त

(संतोष कुमार-II)

सचिव

4/7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ, 4/7, Gomti Nagar Extension , Lucknow

Phone : 0522-2286395, Fax 0522 2286265 Toll Free No. : 1800 419 0234

E-Mail : upslsa@nic.in Website : upslsa.up.nic.in

Under the esteemed patronage of Hon'ble Mr Justice Surya Kant Judge Supreme Court of India and Patron-in-Chief of the National Legal Services Authority and Hon'ble Mr Justice Vikram Nath Judge Supreme Court Of India and Executive Chairman of the National Legal Services Authority, under the able guidance and leadership of Hon'ble Mr Justice Arun Bhansali, Chief Justice Allahabad High Court & Patron-in-Chief of the National Legal Services Authority and Hon'ble Mr Justice Mahesh Chandra Tripathi, Senior Judge Allahabad High Court & Executive Chairman of the Uttar Pradesh State Legal Services Authority a Mega Legal and Social awareness Camp was successfully organised across all 74 districts of Uttar Pradesh on 22-02 2026.

In this Mega Camp, all the government departments were brought together under one unified platform to ensure coordinated and comprehensive service delivery to the public. Pre-camp activities were organised in collaboration with various departments, during which extensive awareness programmes were conducted to educate people about different government welfare schemes. During these preparatory camps, eligible beneficiaries were also identified so that they could directly avail the benefits and services during the Mega Legal and Social Aid Camp held across Uttar Pradesh.

This initiative marks a historic milestone, being not only the first of such magnitude to be implemented across all districts of Uttar Pradesh, but also an unprecedented effort across India, undertaken by the Uttar Pradesh State Legal Services Authority. With the continued cooperation and active participation of various government departments, the outreach has been truly remarkable, and the number of beneficiaries availing government welfare schemes has reached into the lakhs. The total number of beneficiaries, up to the time of release of this press note, stands at 24,56,857, including those covered during the pre-camps as well as the Mega Camp organised today across the State of Uttar Pradesh

Such an initiative reflects a remarkable spirit of coordination, wherein different government departments stepped forward on the initiative of the District Legal Services Authorities under the leadership of the respective District Judges. The Hon'ble Administrative Judges also visited the districts under their administrative control and personally supervised the entire event, ensuring its effective and smooth implementation across Uttar Pradesh.

The Uttar Pradesh State Legal Services Authority has expressed its heartfelt gratitude to the State administration and all district administrations for their enthusiasm, commitment, and invaluable

cooperation in the successful organisation of the Mega Camps across the State of Uttar Pradesh.

Last but not the least, sincere appreciation is extended to the people of the State of Uttar Pradesh, who have once again reposed their full faith and trust in the Authority and actively participated in making this initiative a resounding success.

(Santosh Kumar-II)
Secretary
UPSLSA

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में, माननीय न्यायमूर्ति श्री अरूण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय/मुख्य संरक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल निर्देशन तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी, वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में दिनांक 22.02.2026 को उत्तर प्रदेश के 74 जनपदों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविरों का आयोजन किया गया।

उक्त मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविरों के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण, पंचायती राज, मतत्य विभाग, दिव्यांगजन, आवास, जिला नगरीय विकास, बिजली विभाग, मण्डी परिषद, चिकित्सा विभाग, डूडा, पुलिस एवं यातायात, स्वयंसेवी संस्थाएं इत्यादि से सामन्जस्य स्थापित करते हुए समाज के निर्बल वर्ग, दिव्यांगों, बच्चों, महिलाओं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्री-कैम्प में सर्वप्रथम चिन्हित किया गया तदोपरान्त पात्र व्यक्तियों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपरोक्त व्यक्तियों को दिलाया जाना सुनिश्चित किया गया साथ ही साथ लाभार्थियों को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें सक्षम व प्रभावी विधिक सेवाओं के संबंध में भी अवगत भी कराया गया। इन मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविरों के माध्यम से एक ही स्थान पर प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को लाभ उपलब्ध कराया गया।

इन मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविरों में अनके जनपदों में माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्तिगण, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं खण्डपीठ लखनऊ की गरिमामयी उपस्थिति भी रही। इन शिविरों के सफलतापूर्ण आयोजन में जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ।

सम्पूर्ण भारत वर्ष में इतने वृहद स्तर पर पहली बार उत्तर प्रदेश के 74 जनपदों में मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन हुआ है जहॉ पर एक ही स्थल पर पात्र लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है जो कि एक अविस्मरणीय पल था। इस शिविर के सफलतापूर्ण आयोजन पर डा0 (श्रीमती) मनु कालिया, सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रदेश के समस्त जनपद न्यायाधीशगण, न्यायिक अधिकारीगण एवं समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण को आपसी समन्वय एवं सहयोग उपलब्ध कराने हेतु व्यक्तिगत आभार एवं धन्यवाद दिया किया गया।

1. **प्राप्त जानकारी के अनुसार सायं 06.30 बजे तक उपरोक्त मेगा शिविर में कुल लाभार्थियों की संख्या–24,56,857**
2. **विभिन्न जनपदों से मेगा शिविर के आयोजन से संबंधित चयनित फोटोग्राफ।**

(संतोष कुमार-II)

सचिव

MEGA LEGAL SERVICE CAMP

Bagpat

Lucknow

Ambedkar nagar

Hamirpur

Kasganj

Etah

Bhadohi

Firozabad

Gautambudh Nagar **Firozabad**

Budaun **Maharajganj**